सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र - (एसएमई)

एसएमई की परिभाषा:

क्षेत्र	उत्पादन	सेवा
	(किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्यम)	(सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे उद्यम) **(5 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के प्रति उधारकर्ता सेलिंग के अधीन)**
	जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश (सकल ब्लॉक)	**जहां उपकरण में निवेश (सकल ब्लॉक)**
अति लघु उद्योग	पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है	दस लाख रुपये से अधिक नहीं है
छोटे उद्यम	पच्चीस लाख रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है	दस लाख रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है
मध्यम उद्यम	पांच करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है	दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है

I. पात्रता

1. यह क्रियाविधि सेवा क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के उधारकर्ताओं पर लागू होगा, जिनके पास बहु/संघ बैंकिंग व्यवस्था के तहत 10 करोड़ रुपये तक का वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित बकाया है।
2. यह क्रियाविधि सभी कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट एसएमई पर लागू होगा, जो बैंक के बाहर एकल बैंकिंग व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं भले ही उनका बकाया कुछ भी हो ।
3. यह क्रियाविधि लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों में बीमार/कमजोर इकाइयों पर लागू होगा और प्रारंभिक बीमारी के लक्षण दिखाने वाली इकाइयों पर भी लागू होगा जैसे:
    - प्रवर्तकों के नियंत्रण से परे और आवश्यक लागत वृद्धि के कारणों से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में छह महीने से अधिक की देरी हो रही है।
    - एसएमई के कामकाज को प्रभावित करने वाली आर्थिक और राजकोषीय नीतियों में बदलाव के कारण स्वीकृत समय सीमा से परे कंपनी को दो साल के लिए घाटा या एक साल के लिए नकद नुकसान उठाना पड़ता है।
    - क्षमता उपयोग मात्रा के संदर्भ में अनुमानित स्तर के 50% से कम है या बिक्री एक वर्ष के दौरान मूल्य के संदर्भ में अनुमानित स्तर के 50% से कम है।
    - एसएमए श्रेणी के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए खाते।

II. अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए मानदंड:

- विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उधार खाते का परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक, उप मानक और संदिग्ध श्रेणी में होना चाहिए। बैंक द्वारा "लॉस एसेट" के रूप में वर्गीकृत खातों को एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत कवर नहीं किया जाना है।
- पुनर्रचना के लिए खातों को तभी लिया जाएगा जब बैंक द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर, उधारकर्ता द्वारा बैंक देय राशि के उचित पुनर्भुगतान के लिए वित्तीय व्यवहार्यता का निश्चित रूप से पता

लगाया जाएगा। वित्तीय नियोजन का सहारा लेने और अपेक्षित डेटा अखंडता के साथ जानकारी प्रदान करने के लिए उद्यमियों की ओर से सीमित क्षमताओं वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खातों के पुनर्गठन में शामिल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि पुनर्रचना के तहत अग्रिम की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से और दी जाने वाली राहतें/रियायतें; डीएससीआर को प्रमुख वित्तीय संकेतक के रूप में माना जा सकता है, औसत डीएससीआर 1.20 से कम नहीं होना चाहिए, इस शर्त के साथ कि चुकौती अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम 1 हो। इसके अलावा, ब्याज कवरेज अनुपात का भी विश्लेषण किया जा सकता है और इसके लिए स्वीकार्य सीमा 1.00 से 1.20 के बीच है।

- बैंक पूर्वव्यापी प्रभाव से उधार खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण/पुन: बातचीत नहीं कर सकते हैं।
- पुनर्रचना प्रस्ताव के प्रक्रियाधीन/विचाराधीन रहने के दौरान सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे।
- बीआईएफआर के मामले उनकी स्पष्ट स्वीकृति के बिना पुनर्गठन के पात्र नहीं हैं।
- सभी योग्य मामलों में पुनर्रचना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, बशर्ते उधारकर्ता नियमों और शर्तों से सहमत हो।
- इरादतन चूक, धोखाधड़ी और दुर्भावना से जुड़े खाते पुनर्रचना के पात्र नहीं हैं।

III. <u>पुनर्गठन पैकेज के लिए समय सीमा और उसी को लागू करना।</u>

पुनर्गठन पैकेज तैयार करने और उसे लागू करने के लिए आवश्यक विवरण के साथ अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम अवधि 120 दिनों की है।

IV. <u>पुनर्गठित खातों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड</u>

आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।

V. <u>बार-बार पुनर्गठन</u>

परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए विशेष व्यवस्था केवल तभी उपलब्ध होगी जब खाता पहली बार प्रतिबंधित होगा।

VI. <u>प्रक्रिया</u>

- ऋण लेने वाली इकाइयों से अपेक्षित विवरण के साथ इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने के बाद पुनर्गठन किया जाएगा।
- पात्र एसएमई के मामले में जो कंसोर्टियम/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हैं, अधिकतम बकाया वाला बैंक दूसरे सबसे बड़े हिस्से वाले बैंक के साथ पुनर्गठन पैकेज तैयार कर सकता है।

VII. <u>परिचालन पहलू</u>

सावधि ऋणों के पुन: चरणीकरण, पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध करके, अतिरिक्त वित्त की मंजूरी के माध्यम से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मामला दर मामला आधार पर नकदी प्रवाह और वास्तविक ऋण जरूरतों के आधार पर पुन: चरणबद्धता की अवधि और अवरोधन/अतिरिक्त वित्त की मात्रा निर्धारित की जाएगी।